

प्रेषक,

अभिनव कुमार,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 10 अगस्त, 2022

विषय : मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम/योजना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-61/खेठीशासनापत्रा/2021-22, दिनांक 12 अप्रैल, 2022 एवं "खेल नीति-2021" की अधिसूचना संख्या-938/VI-3/2021-33(07)2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, जनमानस का खेलों के प्रति रुक्षान बढ़ाने, खेल स्कृति की अभिवृद्धि करने, खिलाड़ियों की प्रतिभागिता में वृद्धि करने, प्रदेश में अनुकूल खेल वातावरण सृजन करने, प्रदेश की खेल प्रतिस्पर्धाओं में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के 14 वर्ष से 23 वर्ष तक के आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों हेतु मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम/योजना लागू किये जाने एवं दिशा-निर्देश बनाये जाने की "श्री राज्यपाल महोदय" निम्नलिखित प्राविधानानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1— राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनकी खेल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति किये जाने तथा उन्हें खेलों में और अधिक मनोयोग से प्रतिभाग किये जाने तथा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाये जाने हेतु राज्य खेल नीति 2021 में इसी उद्देश्य के दृष्टिगत 14 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, खेलकिट, ट्रैकसूट एवं खेल संबंधी अन्य उपस्कर आदि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके क्रम में प्रतिवर्ष यह सुविधा आवश्यक बैट्री टैस्ट एवं उसकी दक्षता की मैरिट के आधार पर प्रत्येक जनपद के 14 से 23 वर्ष आयु (14 से 17 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 17 से 19 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 19 से 21 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 21 से 23 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी) के 100 प्रतिभावान बालक एवं 100 बालिकाओं को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके अन्तर्गत प्रति खिलाड़ी रु0 2000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति एवं खेल उपस्कर हेतु प्रतिवर्ष धनराशि रु0 10 हजार मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के कुल 2600 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करचयनित होकर वरियता सूची में आना अनिवार्य होगा। चयनित लाभार्थी खिलाड़ियों को मात्र 01 वर्ष के लिए ही छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

2— खेल छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ऐसे बालक एवं बालिकाएं पात्र होंगे, जिनकी आयु 14 से 23 वर्ष के मध्य होगी एवं उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी होंगे। आयु की गणना संबंधित वर्ष की 01 जुलाई से की जाएगी। चयन प्रक्रिया यथा संभव प्रत्येक वर्ष की 01 जून से 30 जून के मध्य सम्पन्न कर ली जायेगी।

3— खेल छात्रवृत्ति हेतु प्रत्येक जिले से आयुवर्ग 14 से 17 वर्ष, 17 से 19 वर्ष, 19 से 21, 21 से 23 की प्रत्येक श्रेणी के 25—25 बालक एवं बालिकाएं अर्थात् प्रत्येक जनपद में कुल 100 बालक एवं 100 बालिकाएं अर्थात् उत्तराखण्ड राज्य के 1300 बालक, 1300 बालिकाएं कुल 2600 खिलाड़ियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। योजना हेतु स्कूली अभिलेखों में दर्ज आयु मान्य होगी।

4— खेल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के इच्छुक समर्त बालक बालिकाओं को शारीरिक दक्षता (Physical development and Games specific test, बैटरी टैस्ट) और खेल योग्यता (Game/Event Specific skill test) परीक्षा हेतु निर्धारित विभिन्न चरणों से गुजरना होगा। चयन हेतु आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में मैरिट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं ही खेल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।

5— ऐसे बालक एवं बालिकाएं, जो विभागीय/राज्य सरकार अथवा भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन खेल छात्रावास अथवा स्पोर्ट्स कॉलेज में चयनित होकर सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, वो सभी इस खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए अपात्र होंगे अर्थात् उनके लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम/योजना में खेल छात्रवृत्ति हेतु प्रतिभाग करना प्रतिबन्धित होगा।

6— उक्त योजना हेतु आवेदक खिलाड़ी उसी जनपद से आवेदन करेगा, जिस जनपद का आवेदक स्थायी निवासी हो। अन्य जनपद से खिलाड़ी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7—आयुवर्ग एवं मानक अंक प्रणाली—

(1) आयु वर्ग 14 से 23 वर्षके आवेदकों के शारीरिक दक्षता (Strength, Flexibility, Endurance Speed, Coordination etc) आदि के परीक्षण हेतु Physical development, Games specific test के अन्तर्गत 06 प्रतियोगिताएं परीक्षण हेतु आयोजित होगी, जिनके आंकलन हेतु अंकों का विवरण परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

(2) विभिन्न परीक्षणों हेतु अधिकतम अंक निम्न तालिका के अनुसार होंगे—

शारीरिक विकास (ऊँचाई एवं वजन)	खेल विशिष्ट मोटर क्षमता परीक्षण	खेल/स्पर्धा विशिष्ट कौशल परीक्षण	कुल अंक
06	15	09	30

8— पर्यवेक्षण समिति एवं चयन समिति—

(1) चयन के लिए जिला स्तर पर एक पर्यवेक्षण समिति के दिशा—निर्देशों पर सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया संपादित की जायेगी। किसी भी प्रकार के कोई भी विवाद की स्थिति में इस पर्यवेक्षण समिति (Supervisory Committee) का निर्णय अंतिम होगा। समिति निम्न प्रकार होगा:—

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 1. जिलाधिकारी | — | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | — | सदस्य |
| 3. मुख्य शिक्षा अधिकारी | — | सदस्य |
| 4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी | — | सदस्य |
| 5. जिला युवा कल्याण अधिकारी | — | सदस्य |
| 6. जिला क्रीड़ाधिकारी | — | सदस्य सचिव |

(2) सर्वप्रथम खेल निदेशालय द्वारा विज्ञापन के माध्यम से चयन का कार्यक्रम यथासंभव माह अप्रैल/मई में प्रकाशित किया जायेगा।



9— चयन समितियां—

(1) निदेशालय स्तर से विज्ञापन प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् पर्यवेक्षण समिति द्वारा निम्नानुसार चयन समितियों का गठन किया जायेगा, जो उपरोक्त संदर्भित प्रतियोगितात्मक परीक्षण विभिन्न चरणों में सम्पन्न करायेंगे, प्रत्येक चयन समिति में न्यूनतम 02 सदस्य संबंधित खेल एवं शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण योग्यता धारक होंगे। विभिन्न समितियों निम्न प्रकार होंगी:-

1. जिला स्तरीय चयन समिति : (अपर जिलाधिकारी अथवा समकक्ष प्रशासनिक अधिकारी की अध्यक्षता में)
2. विकास खण्ड स्तरीय चयन समितियां: (जिला स्तरीय अधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में)
3. नगर निगम/नगर पालिका स्तरीय चयन समिति: (जिला स्तरीय अधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में)

10— चयन प्रक्रिया की तिथि एवं स्थान—

(1) जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रथम व द्वितीय चरण के लिए तिथियां एवं स्थान का निर्धारण किया जायेगा।

11— चयन समितियों का प्रशिक्षण—

(1) विभिन्न स्तरों की चयन टीमों का गठन हो जाने के तुरन्त पश्चात् जिला क्रीड़ाधिकारी द्वारा चयन समिति के सदस्यों को जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षकों/परीक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

12— चयन प्रक्रिया—

(1) चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की देखरेख में होगी।

(2) चयन प्रक्रिया का आयोजन दो चरणों में किया जायेगा।

प्रथम चरण (Qualifying)— विकासखण्ड/नगर निगम/नगर पालिका स्तर पर प्रतिभागियों की संख्या अधिक होने पर 02 भागों में चयन प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।

द्वितीय चरण— प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पार करने वाले चयनित छात्र/छात्राएं द्वितीय चरण अर्थात् जनपद स्तर के लिए आयोजित चयन प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे।

प्रथम चरण—

(1) प्रथम चरण में सभी जनपदों में उनके विकास खण्ड, नगर निगम एवं नगर पालिकाओं से प्रत्येक आयुवर्ग में निम्न प्रकार चयनित बालक एवं बालिकाएं प्रतिभाग करेंगे:-

1. प्रत्येक विकास खण्ड से —04 (02 बालक एवं 02 बालिका प्रति आयुवर्ग प्रतिखेल)
2. प्रत्येक नगर निगम से —04 (02 बालक एवं 02 बालिका प्रति आयुवर्ग प्रति खेल)
3. प्रत्येक नगर पालिका परिषद से —02 (01 बालक एवं 01 बालिका प्रति आयुवर्ग प्रति खेल)

• चम्पावत, रुद्रप्रयाग एवं बागेश्वर हेतु यह संख्या प्रति ब्लॉक 10 (05 बालक एवं 05 बालिका प्रति आयुवर्ग प्रति खेल) एवं नगर पालिका हेतु 05 (03 बालक एवं 02 बालिका प्रति आयुवर्ग प्रति खेल) होगी।

(नगर पंचायत के अभ्यर्थी निकटस्त विकास खण्ड में प्रतिभाग करेंगे)

(2) प्रथम चरण में मात्र मोटर क्षमता परीक्षण (निर्धारित 06 टेस्ट) लिए जायेंगे। परन्तु यदि अभ्यर्थियों की संख्या नियत संख्या के 10 गुना से अधिक हो तो मात्र 03 टेस्ट (10×06 मी0 शटल दौड़, 800 मी0 दौड़ एवं वर्टिकल जम्प) ही आयोजित किए जायेंगे, जिनमें मानकानुसार Qualify करने करने वाले अभ्यर्थियों का 06 टेस्ट से संबंधित परीक्षण किए जायेंगे, जिसके आधार पर श्रेष्ठ अभ्यर्थियों का निर्धारित संख्या में चयन जिला स्तरीय परीक्षण हेतु किया जाएगा अर्थात् प्रथम चरण (ब्लॉक आदि स्तर)में 02 भागों में संबंधित परीक्षण आयोजित होंगे।

द्वितीय चरण (जिला स्तर)–

(1) द्वितीय चरण में विकास खण्ड/नगर निगम/नगर पालिकाओं से उपरोक्त प्रथम चरण के बिंदु-01 के अनुसार नियत संख्या में चयनित अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे।

इस हेतु स्थान एवं समय का निर्धारण चयन प्रक्रिया की तिथि एवं स्थान के बिंदु-01 के अनुसार पूर्व निर्धारित होगा।

(2) इस चरण में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का प्रस्तर-6 में उल्लिखित अंक व्यवस्थानुसार मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

यहां उल्लेखनीय है कि मोटर क्षमता (Motor Ability) के अंकों का निर्धारण संबंधित खेल के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा अर्थात् मोटर क्षमता (Motor Ability) में समान प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों के खेलों के अनुसार अलग-अलग अंक दिए जा सकेंगे।

(3) यदि चयन सूची के अंतिम स्थान रहने वाले एक से अधिक अभ्यर्थी पाए जाते हैं तो जिसके खेल प्रतिस्पर्द्धा कौशल में अधिक अंक होंगे उसका चयन किया जाएगा। यदि इस श्रेणी में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो उनका खेल कौशल का पुनः परीक्षण किया जाएगा, जिसमें और पुनः परीक्षण तथा पूर्ववर्ती परीक्षणों में, जो अंक अधिक होंगे, उन्हें गिना जाएगा। पुनः परीक्षण की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, जब कि कि एक श्रेष्ठतम अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी नहीं मिल जाता है।

छात्रवृत्ति का वितरण एवं रिकॉर्ड का संरक्षण तथा विविध-

(1) जिला स्तर की चयन समिति द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग में मैरिट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले 25 छात्र एवं 25 छात्राओं की अन्तिम सूची जारी की जायेगी, जो खेल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। छात्रवृत्ति वितरण का कार्य जिला क्रीड़ाधिकारी द्वारा डी०बी०टी० के माध्यम से किया जायेगा।

(2) जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया की वीडियोग्रॉफी भी कराई जायेगी। इसी प्रकार प्रत्येक स्तर पर सम्मिलित होने वाले बालक बालिकाओं का रिकॉर्ड समिति द्वारा रखा जायेगा, जो अंत में जिला क्रीड़ाधिकारी कार्यालय में संरक्षित रहेगा।

(3) किसी भी आपत्ति हेतु आवेदक को इवेन्ट खत्म होने के 01 घण्टे के अन्तर्गत सम्बन्धित स्तर की चयन समिति के समक्ष वैध कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसका संबंधित स्तर की समिति द्वारा सकारण लिखित आदेश निर्गत करते हुये 02 घण्टे के अन्तर्गत आपत्ति को निस्तारित करना आवश्यक होगा।

(4) इस खेल छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित/छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र एवं छात्रा खिलाड़ियों को खेल निदेशालय के अन्तर्गत विभागीय अवस्थापना सुविधाओं, स्टेडियमों आदि में निःशुल्क प्रवेश/प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त होगी, जिसके लिए उन्हें संबंधित जिले के जिला खेल अधिकारी द्वारा एक परिचय पत्र जारी किया जायेगा, जिससे लाभान्वित खिलाड़ी की पहचान हो सके और उस परिचय पत्र के माध्यम से वह खेल प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त कर सके।

चयनित खेल-

(1) योजना के प्रारम्भ होने पर प्राथमिकता के आधार पर निम्न खेलों में ही छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी—

- | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|----------------|
| (1) एथलेटिक्स | (2) बैडमिंटन | (3) बॉक्सिंग | (4) टाईक्वांडो |
| (5) कबड्डी | (6) फुटबॉल | (7) वॉलीबॉल | (8) बास्केटबॉल |
| (9) हॉकी | (10) टेबल टेनिस | | |

(2) उक्त खेल प्राथमिकता के आधार पर चयनित हैं, जिसे भविष्य में स्थिति के अनुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।

15— चयनित छात्र छात्राओं का अभिमुखीकरण (Orientation)

(1) चयन प्रक्रिया सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा चयनित बालक-बालिकाओं का 01 दिवसीय गहन अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा, जिसमें उन्हें विभिन्न खेल गतिविधियों, पौष्टिक आहार, अनुशासन, प्रोत्साहित करने वाले अनेक प्रकरणों से परिचित कराया जायेगा एवं योजना के उद्देश्य की जानकारी भी दी जायेगी। इन बालक-बालिकाओं के अभिभावकों के बारे में जानकारी लेते हुए उनका एक समूह बनाकर जिला क्रीड़ाधिकारी, विभिन्न खेल एवं शारीरिक शिक्षा अंध्यापकों को मिलाकर परस्पर सक्रीय एवं सकारात्मक वातावरण स्थापित करेंगे। इस अवधि में बालक बालिकाओं का P-SAT Score भी नोट किया जायेगा ताकि आगामी दिनों में इसमें होने वाली प्रगति को ट्रैक किया जा सके। 01 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला 05-06 माह के बाद पुनः आयोजित की जायेगी।

(2) स्कूल, विश्वविद्यालय स्तर पर भी संबंधित प्रधानाचार्य/प्राचार्य एवं व्यायाम अध्यापक/खेल प्रशिक्षकों से भी चयनित बालक बालिकाओं की प्रगति को लगातार मॉनिटरिंग करने का अनुरोध किया जायेगा।

16— यह आदेश वित्त विभाग के E-office ID संख्या : I/55040/2022, दिनांक 05 अगस्त, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभिनव कुमार)

विशेष प्रमुख सचिव।

संख्या— ५५५ / VI-3 / 2022-34(06)2022, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा० खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक।
7. अनु सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिला क्रीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरधारी सिंह रावत)

अपर सचिव।